

क्रमांक

2/174/2022

तारीख रज्

पुनीत

बनाम

नानगराम वगैरा

ख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

28.06.2022

वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की तार्ईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र नकल ज़माबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।

अतः अप्रार्थीगण को जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 962, 897, 900, 975, 976, 980, 906, 921, 896, वाके ग्राम मनोखर तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में प्रार्थी के हिस्से में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिए कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें।

अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज़्र हो तो दिनांक 15.07.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 15.07.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)
कठूमर (अलवर)

1577122

वकील 2/174

उपस्थित

2/9/22

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नं
जो

21/11/22

उपरिवाह
की पालना में पत्रा की पालना
दिनांक 17/11/22 को पत्रा हो

17.11.22

पत्रावली पत्रा हुई वहील हाथी अनुपस्थित।
वहील व हाथी को बार-बार आवाज दिलाई गई
लेकिन उपस्थित नहीं आया। अतः हाथी-पत्रा 21/11/22
RPM वहील व हाथी की अडकपेंकी - अडक-
हाथी में खारिज किया जाता है हाथी-पत्रा
नम्बर से अब दोहरा वाउ तक वहील मूल वाउ
के साथ सम्भव हो सुनाया।

उपरिवाह अधिकारी
कटपूर (अलवर)

उपरिवाह अधिकारी
कटपूर (अलवर) राज०

उपरिवाह अधिकारी
(कटपूर) अलवर